भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1178

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

ग्रामीण और कृषि श्रमिक

1178. श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के अनुपात का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई गईं और कार्यान्वित की गई हैं;
(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से दुर्घटनाओं के मामले में योजनाओं का निगरानी तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजनाओं के तहत आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं से लाभान्वित कृषि मजदूरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है; और
(च) देश में विशेष रूप से कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) संबंधी वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2017- जून 2018) के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैं:-

	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
पीएलएफएस (2017-2018)	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
बेरोज़गारी दर (यूआर)	5.8	3.8	7.1	10.8

(ख) से (च): कृषि श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम में असंगठित कामगारों के लिए (i)जीवन एवं अपंगता छत्र, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, (iii)वृद्धावस्था सुरक्षा तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य लाभ से

जारी....2/-

संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें बनाने का उल्लेख किया गया है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और अपंगता छत्र प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभों पर आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें समान शेयर में वार्षिक लाभांश का भुगतान करते हैं। मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना का सूत्रपात किया है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित कामगारों को 3000/- रूपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन उपलब्ध करायी जाएगी। लाभार्थी द्वारा निर्धारित मासिक अंशदान देय है और समान समरूप अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भी भुगतान किया जाता है। प्रत्येक कल्याण योजनाओं का अपना अलग निगरानी तंत्र होता है।

पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई और पीएम-एसवाईएम के तहत निधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित नहीं की जाती हैं। हालाँकि, बीमा कवर प्रदान करने की दिशा में पिछले तीन वर्षों के दौरान एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि से पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई की सामाजिक सुरक्षा योजना पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यय (करोड़)
2016-17	385.34
2017-18	435.16
2018-19	587.52

पीएम-एसवाईएम योजना हेतु बजट और व्यय विवरण निम्नानुसार है:

योजना	2018-19		2019-20 (22.11.2019)	
	(राशि करोड़ में)			
	ब. अ. /सं. अ.	व्यय	ब. अ.	व्यय
पीएम-एसवाईएम	0/50	49.49	500	171.28

नोट: ब.अ./ सं.अ.-बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान

कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को श्रेणी-वार द्विभाजित नहीं किया जाता है। कल्याणकारी उपाय कृषि श्रमिकों सहित सभी असंगठित कामगारों के लाभ के लिए बनाए जाते हैं।

******